"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जून 2010—ज्येष्ठ 25, शक 1932

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2010

आदेश

क्रमांक 5903/1512/21-ब/छ. ग./2010.—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/1989, आल इंडिया जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [2002 ए.आई.आर.एस.सी.डब्ल्यू 1706=(2002)[4] एस.सी.सी. 247] में पारित अंतरिम आदेश क्र. 244 दिनांक 28-04-2009 के द्वारा तथा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी वेतन आयोग) के प्रतिवेदन के आधार पर गठित एक सदस्यीय न्यायमूर्ति ई. पद्मनाभन (सेवानिवृत्त) आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दि. 17-7-2009 की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए तथा उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि. 4-5-2010 के अनुपालन में, न्यायमूर्ति ई. पद्मनाभन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायिक अधिकारियों के भत्तों के संबंध में, छ.ग. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्र. 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, को और आगे आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राज्य शासन निम्नलिखित आदेश जारी करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

(1) कंडिका-6 में वर्णित सत्कार भत्ते में निम्नानुसार वृद्धि की जाती है :—

क्रमांक	पद का नाम	विद्यमान भत्ता (प्रतिमाह)	पुनरीक्षित भत्ता (प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)	500.00 रु. (पांच सौ रुपये)	1500.00 रु. (एक हजार पांच सौ रुपये)

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी)	750.00 रु. (सात सौ पचास रुपये)	2300.00 रु. (दो हजार तीन सौ रुपये)
3.	जिला न्यायाधीश (सभी श्रेणी)	1000.00 रु. (एक हजार रुपये)	3100.00 रु. (तीन हजार एक सौ रुपये)

(2) कंडिका-8 में वर्णित चिकित्सा भत्ते को प्रतिमाह 100/- रु. (एक सौ रुपये) से बढ़ाकर 1000/- रु. (एक हजार रुपये) किया जाता है.

(3) कंडिका-4 में वर्णित गणवेश भत्ता (Robe Allowance) प्रति 5 वर्ष में 5000/- रु. (पांच हजार रुपये) के स्थान पर प्रति 3 वर्ष में 6000/- रु. (छः हजार रुपये) किया जाता है.

(4) उपरोक्त पुनरीक्षित भत्तों का प्रदाय 01-01-2006 से किया जायेगा.

(5) उपरोक्त पुनरीक्षित भत्तों का नगद भुगतान माह जून 2010 के वेतन जो माह जुलाई 2010 में भुगतान योग्य है, में किया जायेगा तथा जून 2010 के पूर्व के उक्त भत्तों के संबंध में एरियर्स की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा.

उक्त संबंध में वित्त विभाग की स्वीकृति यू.ओ. क्रमांक.29496-बी-3/4/10 दिनांक 28-4-2010 एवं यू.ओ. क्रमांक 216/29496/ वि.वि./बी-3/2010 दिनांक 11 जून, 2010 के द्वारा प्रदान की गई है.

Raipur, the 14th June 2010

ORDER

No. 5903/1512/21-B/C.G./2010.—Hon'ble Supreme Court of India, in an interlocutory application No. 244 in W.P. (C) No. 1022/1989 All India Judges Association and others Vs Union of India and others [2002 AIR SCW 1706=(2002)[4] SCC 247] passed an order on 28-04-2009 and thereby constituted one man commission headed by Mr. Justice E. Padmanabhan (Rtd.) to revise the pay scales and allowances of judicial officers of all the states of India as per recommendation of First National Judicial Pay Commission (Shetty Pay Commission) and accepting the recommendations of aforesaid one man commission submitted on 17-07-2009 Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 04-05-2010 directed all the State Governments to issue necessary orders to implement the aforesaid E. Padmanabhan Commission Report. Accordingly to implement the recommendation of report of E. Padmanabhan Commission and in compliance of Hon'ble Supreme Court's aforesaid orderd dated 04-05-2010, State Government hereby makes the following further amendment in Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department order No. 13040/21-B/C.G./06 dated 31-10-2006 in respect of allowances of Judicial officers of the State of Chhattisgarh, namely :—

AMENDMENT

In the said Order,—

1. Sumptuory Allowance mentioned in para 6 is increased as follows :—

S.No.	Name of the Post	Existing Allowance (Per Month)	Revised Allowance (Per Month)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Civil Judges (Junior Division)	Rs. 500.00 (Five Hundred Rupees)	Rs. 1500.00 (One Thousand Five Hundred Rupees)

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Civil Judges (Senior Division)	Rs. 750.00 (Seven Hundred Fifty Rupees)	Rs. 2300.00 (Two Thousand Three Hundred Rupees)
3.	District Judges (All Levels)	Rs. 1000.00 (One Thousand Rupees)	Rs. 3100.00 (Three Thousand One Hundred Rupees)

2. Medical Allowance mentioned in para 8 is increased from Rs. 100.00 (One Hundred) to Rs. 1000.00 (One Thousand Rupees) per month.

3. Robe Allowance mentioned in para 4 shall be Rs. 6000.00 (Six Thousand Rupees) in every three years in place of Rs. 5000.00 (Five Thousand Rupees) once in every five years.

4. Allowances revised as above shall be granted from 1-1-2006.

5. Allowances revised as above shall be paid in cash from salary, for the month of June, 2010 payable in July, 2010. The amount of arrears as in respect of these allowances prior to June, 2010, shall be paid in cash.

This sanction has been accorded by the Finance Department vide U.O. No. 29496-B-3/4/10 dated 28-4-2010 and U.O. No. 216/29496/F.D./B-3/2010 dated 11th June, 2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.